



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.एच.-अ.-12082021-228934
CG-JH-E-12082021-228934

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 455]
No. 455]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 12, 2021/श्रावण 21, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 2021/SRAVANA 21, 1943

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

अधिसूचना

धनवाद, 11 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 555 (अ).—कोयला खान विनियम, 2017, के विनियम 12, उप-विनियम (1) एवम (4) के प्रावधान के अनुसरण में, छूट के आधार पर प्रमाण पत्र प्रदान करने एवं प्रबन्धक सक्षमता प्रमाण पत्र परीक्षा संचालन करने हेतु, सा. का. नि. 910(अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2018, के अधिसूचित उप-नियमों में, निम्न अनुच्छेदों को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :

1.3 व्यावहारिक अनुभव कि अवधि किसी एक खदान में एक सप्ताह से कम मंजूर नहीं होगी।

1.6 हटाया गया।

1.8 डिग्री/डिप्लोमा के बाद किसी भी पदनाम (पर्यवेक्षक, सहायक पर्यवेक्षक, अभियंता, सहायक अभियंता, सहायक ओवरमैन, सरदार, सहायक सरदार, श्रमिक, प्रशिक्षु, आदि) के तहत वास्तविक खनन परिचालन में प्राप्त अनुभव खनन में प्राप्त पीजीपीटी/ पीडीपीटी आदि के बराबर माना जा सकेगा।

2.0 परीक्षा के प्रकार:

2.1 प्रत्येक विषय के लिए परीक्षा, कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) द्वारा होगी जिसकी अवधि तीन घंटे की होगी।

2.2 प्रत्येक विषय के लिए प्रश्नों को बोर्ड को जमा किए जाएंगे। आवश्यकता के अनुसार प्रश्नों को बोर्ड अनुसमर्थित कर सकता है।

2.3 हटाया गया।

2.4 **विषय अंक:** प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम 150 अंक होंगे।

2.5 हटाया गया।

2.6 परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए एक उम्मीदवार को कम्प्यूटर आधारित टेस्ट के प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक के 50 प्रतिशत से कम प्राप्त नहीं होने चाहिए (यानि 150 मे कम से कम 75)।

4.2 हटाया गया।

8.0 **आवेदन के साथ मूल दस्तावेज इत्यादि :** कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक उसके साथ आवश्यक योग्यता, व्यवहारिक अनुभव एवं उम्र की मूल प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी तथा निर्धारित शुल्क जमा करवाने के साक्ष्य नहीं दिए गए हों। मूल दस्तावेज तथा उनके स्वप्रमाणित फोटोकॉपी उम्मीदवार द्वारा कथित परीक्षार्थ होने पर जमा करना होगा।

10.0 **परीक्षकों की नियुक्ति:** जहाँ तक व्यवहारिक हो, सम्बंधित विषय का अनुभव रखने वाले, किसी प्रतिष्ठित संस्थान के अकदमीशियन / वैज्ञानिक और/अथवा प्रथम श्रेणी प्रबंधक सक्षमता प्रमाण पत्र (जिसमे ओपन कॉस्ट खानों तक सीमित प्रमाण पत्र भी शामिल है) धारक खनन अभियंता और/अथवा बोर्ड द्वारा नियुक्त इन्स्पेक्टर ऑफ माइन्स द्वारा प्रश्न बैंक बनाया जाएगा जिसमे औब्जैक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न (एम सी क्यू) रहेंगे।

10.1 हटाया गया।

10.2 हटाया गया।

[फा. सं. डीजीएमएस/एक्सएम/ सीएमआर/ बाई लॉज़/2018/2]

प्रभात कुमार, मुख्य खान निरीक्षक एवं अध्यक्ष, खनन परीक्षा बोर्ड

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(DIRECTORATE GENERAL OF MINES SAFETY)

NOTIFICATION

Dhanbad, the 11th August, 2021

G.S.R. 555(E).—In pursuance of the provisions of Regulation 12(1) and 12(4) of the Coal Mines Regulations, 2017, the bye-laws notified vide GSR 910 (E) dated 14th September, 2018, for grant of certificates on exemption basis and for conduct of examination for Manager's Certificates of Competency, the following clauses, therein, are substituted as below:

1.3 Practical experience, for a period of less than one week in a mine shall not be considered.

1.6 Omitted

1.8 Experience obtained in actual mining operations under any designation (supervisor, Assistant Supervisor, Engineer, Assistant Overman, Sirdar, Assistant Sirdar, worker, trainee, etc.) after possessing degree/diploma in mining, may be treated as equivalent to PGPT/PDPT etc.

2.0 **Type of Examination:**

2.1 The examination for each subject shall consist of a Computer Based Test (CBT) of three hours duration.

2.2 Questions for each subject shall be submitted to the Board. The Board may ratify the questions, if required.

2.3 Omitted.

2.4 Subject Marks: - Every subject shall carry maximum of 150 marks.

2.5 Omitted.

2.6 In order to pass the examination a candidate must obtain not less than 50% of the maximum marks in each subject in Computer Based Test (i.e. at least 75 out of 150).

4.2 Omitted

8.0 Applications to be supported by Original Certificates, etc.: No application shall be considered unless it is supported by scanned copy of all required original certificates for qualifications, practical experience, age and is accompanied by evidence that the prescribed fee has been paid. The original certificates and their self-attested copies shall be submitted by the candidate upon passing the said examination.

10.0 Appointment of Examiners: Question banks shall be prepared as objective type Multiple Choice Questions (MCQ), as far as practicable by the Academicians / Scientists conversant with the concerned subjects from reputed institutes and / or Mining Engineers holding First Class Managers' Certificate (including Certificate which is restricted to mines having opencast workings only) and /or an Inspectors of Mines appointed by the Board.

10.1 Omitted.

10.2 Omitted.

[F. No. DGMS/EXAMS/CMR/BYE LAWS/2018/2]

PRABHAT KUMAR, Chief Inspector of Mines & Chairman, Board of Mining Examination

अधिसूचना

धनबाद, 11 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 556(अ).— कोयला खान विनियम, 2017, के विनियम 12, उप-विनियम (1) एवम (4) के प्रावधान के अनुसरण में, छूट के आधार पर प्रमाण पत्र प्रदान करने एवं सर्वेक्षक सक्षमता प्रमाण पत्र परीक्षा संचालन करने हेतु, सा. का. नि. 911(अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के अधिसूचित उप-नियमों में, निम्न अनुच्छेदों को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है।

1.3 व्यावहारिक अनुभव कि अवधि किसी एक खदान में एक सप्ताह से कम मंजूर नहीं होगी।

1.6 हटाया गया।

2.0 परीक्षा के प्रकार:

2.1 परीक्षा, कम्प्युटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) द्वारा होगी जिसकी अवधि तीन घंटे की होगी।

2.2 हटाया गया।

2.3 प्रत्येक विषय के लिए प्रश्नों को बोर्ड को जमा किए जाएंगे। आवश्यकता के अनुसार प्रश्नों को बोर्ड अनुसमर्थित कर सकता है।

2.4 हटाया गया।

2.5 अंक: परीक्षा के लिए कुल अधिकतम 150 अंक होंगे।

2.6 हटाया गया।

2.7 परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए एक उम्मीदवार को कम्प्युटर आधारित टेस्ट के अधिकतम अंक के 50 प्रतिशत से कम प्राप्त नहीं होने चाहिए (यानि 150 में कम से कम 75)।

3.0 हटाया गया।

3.1 हटाया गया।

3.2 हटाया गया।

3.3 हटाया गया।

4.2 हटाया गया।

8.0 आवेदन के साथ मूल दस्तावेज इत्यादि: कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक उसके साथ आवश्यक योग्यता, व्यावहारिक अनुभव एवं उम्र की मूल प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी तथा निर्धारित शुल्क जमा करवाने के साक्ष्य नहीं दिए गए हों। मूल दस्तावेज तथा उनके स्वप्रमाणित फोटोकॉपी उम्मीदवार द्वारा कथित परीकृतीर्ण होने पर जमा करना होगा।

9.0 कम्प्यूटर आधारित टेस्ट को नियंत्रित करने वाले नियम:

9.1 एक बार कम्प्यूटर आधारित टेस्ट शुरू हो गयी तो किसी भी उम्मीदवार को कम्प्यूटर आधारित टेस्ट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9.2 कम्प्यूटर आधारित टेस्ट कक्ष में प्रवेश करने से पहले, प्रत्येक उम्मीदवार सभी किताबें, नोट्स और पेपर आदि बाहर छोड़ देगा।

9.3 प्रत्येक उम्मीदवार को रजिस्टर / शीट में हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी, जिसमें उसका रोल नंबर / आई डी दर्ज किया जाएगा।

9.4 कोई उम्मीदवार को परीक्षक अथवा निरीक्षक अथवा किसी अन्य सहायक से किसी सहायता की आवश्यकता हो तो, उसे ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने स्थान पर खड़ा होना चाहिए, ना कि पुकारना चाहिए।

9.5 कोई उम्मीदवार किसी अन्य उम्मीदवार से बात कर रहा हो या किसी पुस्तक या नोट्स से परामर्श कर रहा हो या बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए पेपर को छोड़कर दूसरे पेपर का उपयोग कर रहा हो या किसी अन्य अनुचित तरीके का उपयोग कर रहा हो या ऐसा कार्य करे जो परीक्षक को अनुचित लगे तो अयोग्य घोषित किया जाएगा।

9.6 कोई उम्मीदवार परीक्षा शुरू होने के बाद एक घंटे से पहले परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ेगा।

9.7 जब उम्मीदवार ने प्रश्न का उत्तर पूरा कर लिया हो या जब प्रश्न का उत्तर देने के लिए दी गई समय समाप्त हो गयी हो या उम्मीदवार को क्लॉज नं० 9.5 के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, तो वह तत्काल परीक्षा कक्ष छोड़ दे।

10.0 **परीक्षकों की नियुक्ति:** जहाँ तक व्यवहारिक हो, सम्बंधित विषय का अनुभव रखने वाले, किसी प्रतिष्ठित संस्थान के अकदमीशियन / वैज्ञानिक और/अथवा प्रथम श्रेणी प्रबंधक सक्षमता प्रमाण पत्र (जिसमें ओपन कॉस्ट खानों तक सीमित प्रमाण पत्र भी शामिल है) धारक खनन अभियंता और/अथवा बोर्ड द्वारा नियुक्त इन्सपेक्टर ऑफ माइन्स द्वारा प्रश्न बैंक बनाया जाएगा जिसमें औब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न (एम सी क्यू) रहेंगे।

10.1 हटाया गया।

10.2 हटाया गया।

परिशिष्ट - I**सर्वेक्षक योग्यता प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा-पाठ्यक्रम****(कोयला खान विनियम, 2017 के तहत)**

कोयला खान विनियम 2017 में सर्वेक्षक, सर्वेक्षण, नक्शा, प्लान और सेक्सन के वैधानिक प्रावधान

रैखिक मापन: रेंजिंग दूरी मापक उपकरण; चेन सर्वेक्षण; चेनिंग और प्लाटिंग में त्रुटियां।

कोणीयमापन: प्रिज्मेटिक कंपास; रेखाओं की वीयरिंग; स्थानीय आकर्षण; चुंबकीय अवनति।

थियोडोलाइट: आधुनिक माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट्स; क्षैतिज और ऊर्ध्व कोणों का मापन; थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग; ट्रेवर्सगणना; निर्देशांक की गणना; ट्रेवर्स का समायोजन; अस्थायी और स्थायी समायोजन।

टोटल स्टेशन: टोटल स्टेशन द्वारा सर्वेक्षण निर्देशांक डाउनलोड करना; उपयोग, रख रखाव, अंशांकन और सर्विसिंग की प्रक्रिया त्रुटियों समायोजन और अनुप्रयोग।

टेकोमेट्री।

नियंत्रित सर्वेक्षण: ट्राईएंगुलेशन; ट्राईलेट्रेशन; खान सर्वेक्षण में जीपीएस और टोटल स्टेशन का प्रयोग।

लेवलिंग: लेवलिंग उपकरण, लेवलिंग के प्रकार, बुकिंग ओर रिडक्सन विधियाँ, अस्थायी और स्थायी लेवल समायोजन; ज्यामितीय, त्रिकोणमितीय और भौतिक लेवलिंग; कन्टूर की विशेषताओं एवं उनका प्रयोग; कंटूरिंग की विधियाँ; ट्रेवर्स; निर्देशांको एवं लेवलिंग की समस्याएँ।

कोरिलेशन: सतह एवं भूमिगत कोरिलेशन का तरीका, गायरोलेजर संयोजन सहित।

उपकरणों का प्रयोग, देखभाल, परीक्षण एवं समायोजन।

फील्ड एस्ट्रॉनॉमी: खगोलीय शब्दावली; समान ऊंचाई विधि द्वारा वास्तविक बियरिंग का निर्धारण; गायरो थियोडलाइट; गायरोनॉर्थ का सिद्धांत एवं निर्धारण; एस्ट्रॉनॉमी: खगोलीय त्रिकोण; समय प्रणाली का परिवर्तन एवं खगोलीय विधि द्वारा और खगोलीय तरीकों से अजीमुथ के सटीक निर्धारण।

नेशनल ग्रिड: वैश्विक निर्देशांको; वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम (WGS); गूगल अर्थ का प्रयोग एवं सार्वभौमिक ट्रान्सफरमर्केटर; निर्देशांको का परिवर्तन वरटिकल प्रोजेक्संस माइन मॉडल।

जियोडेसी: जियोड, स्फेरायड एवं एलिप्सायड; जियोसेंट्रिक, जियोडेटिक एवं एस्ट्रोनोमिकल कोर्डिनेट; ओर्थोमेट्रिक एवं डायनामिक ऊंचाईयां।

फोटोग्रामेट्री: परिचय; उर्ध्व छायाचित्र का पैमाना; छायाचित्र बनाम नक्शे; खनन में फोटोग्रामेट्री और रिमोट सेंसिंग का प्रयोग।

त्रुटियों और समायोजन के सिद्धांत: त्रुटियों के कारण और वर्गीकरण; परिशुद्धता की झुकाव (Inclines of Precision); भार-प्रसार एवं त्रुटियों के समायोजन के नियम; ट्रिअंगुलेशन फीगर्स का समायोजन।

समतल मध्यम एवं खड़ी ढाल वाले एवं ऊर्ध्व खनन कार्य स्थलो का सर्वेक्षण: डिफ्ट एवं रोडवे में दिशा एवं ग्रेडिएंट का नियंत्रण; सहायक टेलीस्कोप के साथ या उसके बिना खड़ी ढाल वाले खनन कार्यस्थलो के अनुरेख ट्रेवर्सिंग।

क्षेत्रफल एवं आयतन की गणना विभिन्न विधियों और उनकी सीमाएं: अर्थवर्क और बिल्डिंग इस्टीमेशन रेल और हॉल रोड कर्वका लेयिंग आउट; हॉल रोड/ रैम्पस का ग्रेडिएंट; ईन्क्लाइन रोडवे और शाफ्ट की गहराई का मापन; अजीमुथ अक्षांश और देशांतर (लेटीच्युड) का निर्धारण।

बोरेहोल सर्वेक्षण और गणना, डिप, स्ट्राइक, आउटक्रॉप एवं फाल्ट प्रॉब्लेम।

नक्शों के प्रकार, उनका निर्माण, देखभाल, भंडारण और संरक्षण: खान के नक्शों एवं सेक्शन से संबंधित विधान; सर्वेक्षकों के कर्तव्य और दायित्व।

जियोलोजिकल मैप पढ़ना।

सब्सिडेंस सर्वेक्षण स्लोप की निगरानी बेंच, हाईवॉल, डंप, स्लोप्स का प्रोफाइलिंग।

लेजरस्कैनर / निरंतर रीयलटाइम मॉनीटर जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग कर के डंप / हाईवॉल स्थिरता की निगरानी।

खान सर्वेक्षण एवं खान के नक्शे बनाने में कम्प्यूटर का उपयोग; ऑटो कैड, सरपेक और डाटामाइन का उपयोग।

आधुनिक सर्वे उपकरण का खान सर्वेक्षण में प्रयोग: डिफ्रेंसियल ग्लोबल पोसिसनिंग (डीजीपीएस) 3D- लेसर स्केनर; ड्रोन बेंच, हाईवॉल, डंप, स्लोप्स का प्रोफाइलिंग के लिए 3D-लेसर स्केनर का उपयोग।

[फा. सं. डीजीएमएस/एक्साम/ सीएमआर/ बाई लॉज़/2018/2]

प्रभात कुमार, मुख्य खान निरीक्षक एवं अध्यक्ष, खनन परीक्षा बोर्ड

NOTIFICATION

Dhanbad, the 11th August, 2021

G.S.R. 556(E).—In pursuance of the provisions of Regulation 12(1) and 12(4) of the Coal Mines Regulations, 2017, the bye-laws notified vide GSR 911(E) dated 14th September 2018, for grant of certificates on exemption basis and for conduct of examination for Surveyor's Certificates of Competency, the following clauses, therein, are substituted as below:

1.3 Practical experience, for a period of less than one week in a mine shall not be considered.

1.6 Omitted

2.0 **Type of Examination:**

- 2.1 Examination for Surveyor's Certificate and Surveyor's Certificate (Restricted to mines having opencast workings only) shall consist of a Computer Based Test (CBT) of three hours duration.
- 2.2 Omitted.
- 2.3 Questions for the examinations shall be submitted to the Board. The Board may ratify the questions, if required.
- 2.4 Omitted
- 2.5 Marks: The examinations shall carry a total maximum of 150 marks.
- 2.6 Omitted
- 2.7 In order to pass the examinations a candidate must obtain not less than 50% of the maximum marks in Computer Based Test (i.e. at least 75 out of 150).
- 3.0 Omitted
- 3.1 Omitted
- 3.2 Omitted
- 3.3 Omitted
- 4.2 Omitted
- 8.0 Applications to be supported by Original Certificates, etc.:** No application shall be considered unless it is supported by scanned copy of all required original certificates for qualifications, practical experience, age and is accompanied by evidence that the prescribed fee has been paid. The original certificates and their self-attested copies shall be submitted by the candidate upon passing the said examination.
- 9.0 Rules governing the conduct of Computer Based Test (CBT):
- 9.1 No candidate shall be permitted to attend the CBT once the CBT has commenced.
- 9.2 Before entering the CBT hall, every candidate shall leave all books, notes and paper etc. outside.
- 9.3 Every candidate shall be required to sign in a Register / Sheet in which his roll number / ID would be recorded.
- 9.4 Any candidate desiring to consult the examiner or invigilator or any other assistants requiring any assistance should stand in his seat to draw attention but should not call out.
- 9.5 Any candidate speaking to any other candidate, or consulting any book or notes, or using paper other than that supplied by the Board or using any other unfair means or acting in a manner considered improper by the examiner shall be liable to be disqualified.
- 9.6 No candidate shall leave the examination hall before the expiry of one hour after the commencement of the examination.
- 9.7 When candidate has completed the answer to the questions or when the time allowed for answering the questions has elapsed, or when a candidate has been disqualified under Clause No. 9.5, he must at once leave the Examination Hall.
- 10.0 **Appointment of Examiners:** Question banks shall be prepared as objective type Multiple Choice Questions (MCQ), as far as practicable by the Academicians / Scientists conversant with the concerned subjects from reputed institutes and / or Mining Engineers holding First Class Managers' Certificate (including Certificate which is restricted to mines having opencast workings only) and /or an Inspectors of Mines appointed by the Board.
- 10.1 Omitted
- 10.2 Omitted.

ANNEXURE – I
SYLLABUS FOR THE EXAMINATION FOR SURVEYOR'S
CERTIFICATE OF COMPETENCY
(UNDER COAL MINES REGULATIONS, 2017)

Statutory provisions of surveyor, surveying, plans & section, in Coal Mines Regulations 2017.

Linear measurement: Instruments for measuring distance ranging, chain surveying; errors in chaining and plotting;
Angular measurement: Prismatic compass; bearing of lines; local attraction; magnetic declination.

Theodolite: Modern micro-optic theodolites; measurement of horizontal and vertical angles; theodolite traversing; traverse calculation; computation of coordinates; adjustment of traverse; temporary and permanent adjustment.

Total Stations: Surveying by Total stations, downloading the co-ordinates. Procedures of use, care, calibration and servicing, errors, adjustments and applications

Tacheometry

Controlled surveys: Triangulation Trilateration application of GPS and Total Station in mine surveying.

Levelling: Levelling instrument types of levelling; booking and reduction methods; temporary and permanent adjustment of levels; geometrical, trigonometric and physical levelling; characteristics and uses of contours; methods of contouring; traverse; co-ordinates and levelling problems.

Correlation: Method of correlation surface and underground including Gyro Laser combination.

Use, care, testing, and adjustments of instruments.

Field astronomy: Astronomical terms; determination of true bearing by equal altitude method; Gyro theodolite; principle and determination of Gyro north, Astronomy: astronomical triangle; conversion of time systems and precise determination of azimuth by astronomical methods.

National grid: Global coordinates, World Geodetic System (WGS), Application of Google earth and Universal transfers Mercator; transformation of coordinates, vertical projections; mine models.

Geodesy: Geod, spheroid and ellipsoid, geocentric, geodetic and astronomical coordinates orthometric and dynamic heights.

Photogrammetry: Introduction; scale of a vertical photograph; photographs versus maps; application of photogrammetry and remote sensing in mining.

Theory of errors and adjustments: Causes and classification of errors; inclines of precision; laws of weight propagation and adjustment of errors; adjustment of triangulation figures.

Surveying of flat, moderately and steeply inclined and vertical workings: control of direction and gradient in drifts and roadways; traversing along steep working with or without auxiliary telescopes.

Area and volume calculation; different methods and their limitations: earth work and building estimation; laying out of rail and haul road curves, gradients of haul roads / ramps, measurement of depths of incline roadways and shafts; determination of azimuth latitude and longitude.

Borehole surveying and calculations, dip, strike, outcrop and fault problems.

Types of plans, their preparation, care, storage and preservation: legislation concerning mine plans and sections; duties and responsibilities of surveyors.

Geological map reading.

Subsidence survey, Slope monitoring, Profiling of benches, highwall, dumps, slopes.

Dump / Highwall stability monitoring using different instruments like Laser Scanner / Continuous Real Time Monitor

Application of computers in mine surveying and preparation of mine plan, Use of Auto Cad, Surpac and Datamine

Application of modern Survey Instruments in Mine Surveying: Differential Global Positioning System (DGPS) , 3D-Laser scanner, Drone, Use of 3D- Laser scanner for Profiling of benches, highwall, dumps, slopes, etc.

[F. No. DGMS/EXAMS/CMR/BYE LAWS/2018/2]

PRABHAT KUMAR, Chief Inspector of Mines & Chairman, Board of Mining Examination

अधिसूचना

धनबाद, 11 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 557(अ).—कोयला खान विनियम, 2017, के विनियम 12, उप-विनियम (1) एवम (4) के प्रावधान के अनुसरण में, झूट के आधार पर प्रमाण पत्र प्रदान करने एवं ओवेरमैन सक्षमता प्रमाण पत्र परीक्षा संचालन करने हेतु, सा. का. नि. 912(अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के अधिसूचित उप-नियमों में, निम्न अनुच्छेदों को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है।

1.3 व्यवहारिक अनुभव कि अवधि किसी एक खदान में एक सप्ताह से कम मंजूर नहीं होगी।

1.6 हटाया गया।

2.0 परीक्षा के प्रकार:

2.1 परीक्षा, कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) द्वारा होगी जिसकी अवधि दो घंटे की होगी।

2.2 प्रत्येक विषय के लिए प्रश्नों को बोर्ड को जमा किए जाएंगे। आवश्यकता के अनुसार प्रश्नों को बोर्ड अनुसमर्थित कर सकता है।

2.3 हटाया गया।

2.4 हटाया गया।

2.5 अंक: परीक्षा के लिए कुल अधिकतम 100 अंक होंगे।

2.6 हटाया गया।

2.7 परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए एक उम्मीदवार को कम्प्यूटर आधारित टेस्ट के अधिकतम अंक के 50 प्रतिशत से कम प्राप्त नहीं होने चाहिए (यानि 100 में कम से कम 50)।

3.0 हटाया गया।

3.1 हटाया गया।

3.2 हटाया गया।

3.3 हटाया गया।

4.2 हटाया गया।

8.0 आवेदन के साथ मूल दस्तावेज इत्यादि : कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक उसके साथ आवश्यक योग्यता, व्यवहारिक अनुभव एवं उम्र की मूल प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी तथा निर्धारित शुल्क जमा करवाने के साक्ष्य नहीं दिए गए हों। मूल दस्तावेज तथा उनके स्वप्रमाणित फोटोकॉपी उम्मीदवार द्वारा कथित परीकृतीर्ण होने पर जमा करना होगा।

9.0 कम्प्यूटर आधारित टेस्ट को नियंत्रित करने वाले नियम:

9.1 एक बार कम्प्यूटर आधारित टेस्ट शुरू हो गयी तो किसी भी उम्मीदवार को कम्प्यूटर आधारित टेस्ट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9.2 कम्प्यूटर आधारित टेस्ट कक्ष में प्रवेश करने से पहले, प्रत्येक उम्मीदवार सभी किताबें, नोट्स और पेपर आदि बाहर छोड़ देगा।

9.3 प्रत्येक उम्मीदवार को रजिस्टर/शीट में हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी, जिसमें उसका रोल नंबर / आई डी दर्ज किया जाएगा।

9.4 कोई उम्मीदवार को परीक्षक अथवा निरीक्षक अथवा किसी अन्य सहायक से किसी सहायता की आवश्यकता हो तो, उसे ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने स्थान पर खड़ा होना चाहिए, ना कि पुकारना चाहिए।

9.5 कोई उम्मीदवार किसी अन्य उम्मीदवार से बात कर रहा हो या किसी पुस्तक या नोट्स से परामर्श कर रहा होया बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए पेपर को छोड़कर दूसरे पेपर का उपयोग कर रहा हो या किसी अन्य अनुचित तरीके का उपयोग कर रहा हो या ऐसा कार्य करे जो परीक्षक को अनुचित लगे तो अयोग्य घोषित किया जाएगा।

9.6 कोई उम्मीदवार परीक्षा शुरू होने के बाद एक घंटे से पहले परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ेगा।

9.7 जब उम्मीदवार ने प्रश्न का उत्तर पूरा कर लिया हो या जब प्रश्न का उत्तर देने के लिए दी गई समय समाप्त हो गयी हो या उम्मीदवार को क्लॉज न० 9.5 के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, तो वह तत्काल परीक्षा कक्ष छोड़ दे।

10.0 परीक्षकों की नियुक्ति: जहाँ तक व्यवहारिक हो, सम्बंधित विषय का अनुभव रखने वाले, किसी प्रतिष्ठित संस्थान के अकदमीशियन/वैज्ञानिक और/अथवा प्रथम श्रेणी प्रबंधक सक्षमता प्रमाण पत्र (जिसमें ओपन कॉस्ट खानों तक सीमित प्रमाण पत्र भी शामिल है) धारक खनन अभियंता और/अथवा बोर्ड द्वारा नियुक्त इन्सपेक्टर ऑफ माइन्स द्वारा प्रश्न बैंक बनाया जाएगा जिसमें औब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न (एम सी क्यू) रहेंगे।

10.1 हटाया गया।

10.2 हटाया गया।

[फा. सं. डीजीएमएस/एक्सएम/ सीएमआर/ बाई लॉज/2018/2]

प्रभात कुमार, मुख्य खान निरीक्षक एवं अध्यक्ष, खनन परीक्षा बोर्ड

NOTIFICATION

Dhanbad, the 11th August, 2021

G.S.R. 557(E).—In pursuance of the provisions of Regulation 12(1) and 12(4) of the Coal Mines Regulations, 2017, the bye-laws notified vide GSR 912 (E) dated 14th September 2018, for grant of certificates on exemption basis and for conduct of examination for Overman's Certificates of Competency, the following clauses, therein, are substituted as below:

- 1.3 Practical experience, for a period of less than one week in a mine shall not be considered.
- 1.6 Omitted
- 2.0 Type of Examination:
- 2.1 The examination shall consist of a Computer Based Test (CBT) of two hours duration.
- 2.2 Questions for each subject shall be submitted to the Board. The Board may ratify the questions, if required.
- 2.3 Omitted
- 2.4 Omitted
- 2.5 **Marks:** The examination shall carry a total maximum of 100 marks.
- 2.6 Omitted
- 2.7 In order to pass the examination a candidate must obtain not less than 50% of the maximum marks in Computer Based Test (i.e. at least 50 out of 100).
- 3.0 Omitted
- 3.1 Omitted
- 3.2 Omitted
- 3.3 Omitted
- 4.2 Omitted

8.0 Applications to be supported by Original Certificates, etc.: No application shall be considered unless it is supported by scanned copy of all required original certificates for qualifications, practical experience, age and is accompanied by evidence that the prescribed fee has been paid. The original certificates and their self-attested copies shall be submitted by the candidate upon passing the said examination.

9.0 Rules governing the conduct of Computer Based Test (CBT):

- 9.1 No candidate shall be permitted to attend the CBT once the CBT has commenced.
- 9.2 Before entering the CBT hall, every candidate shall leave all books, notes and paper etc. outside.
- 9.3 Every candidate shall be required to sign in a Register / Sheet in which his roll number / ID would be recorded.
- 9.4 Any candidate desiring to consult the examiner or invigilator or any other assistants requiring any assistance should stand in his seat to draw attention but should not call out.

9.5 Any candidate speaking to any other candidate, or consulting any book or notes, or using paper other than that supplied by the Board or using any other unfair means or acting in a manner considered improper by the examiner shall be liable to be disqualified.

9.6 No candidate shall leave the examination hall before the expiry of one hour after the commencement of the examination.

9.7 When candidate has completed the answer to the questions or when the time allowed for answering the questions has elapsed, or when a candidate has been disqualified under Clause No. 9.5, he must at once leave the Examination Hall.

10.0 **Appointment of Examiners:** Question banks shall be prepared as objective type Multiple Choice Questions (MCQ), as far as practicable by the Academicians / Scientists conversant with the concerned subjects from reputed institutes and / or Mining Engineers holding First Class Managers' Certificate (including Certificate which is restricted to mines having opencast workings only) and / or an Inspectors of Mines appointed by the Board.

10.1 Omitted

10.2 Omitted

[F. No. DGMS/EXAMS/CMR/BYE LAWS/2018/2]

PRABHAT KUMAR, Chief Inspector of Mines & Chairman, Board of Mining Examination

अधिसूचना

धनबाद, 11 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 558 (अ).—कोयला खान विनियम, 2017, के विनियम 12, उप-विनियम (4) के प्रावधान के अनुसरण में, झूट के आधार पर प्रमाण पत्र प्रदान करने एवं सरदार सक्षमता प्रमाण पत्र परीक्षा संचालन करने हेतु, सा. का. नि. 913 (अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के अधिसूचित उप-नियमों में, निम्न अनुच्छेदों को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है।

1.3 व्यावहारिक अनुभव कि अवधि किसी एक खदान में एक सप्ताह से कम मंजूर नहीं होगी।

1.6 हटाया गया।

2.0 हटाया गया।

3.0 परीक्षा के प्रकार:

3.1 परीक्षा, कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) द्वारा होगी जिसकी अवधि दो घंटे की होगी।

3.2 अंक: परीक्षा के लिए कुल अधिकतम 100 अंक होंगे।

3.3 परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए एक उम्मीदवार को कम्प्यूटर आधारित टेस्ट के अधिकतम अंक के 50 प्रतिशत से कम प्राप्त नहीं होने चाहिए (यानि 100 में कम से कम 50)।

3.4 परीक्षा की तारीख, समय और जगह की अधिसूचना उम्मीदवार को अध्यक्ष, खनन परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात सचिव द्वारा दी जाएगी।

3.5 प्रत्येक विषय के लिए प्रश्नों को बोर्ड को जमा किए जाएंगे। आवश्यकता के अनुसार प्रश्नों को बोर्ड अनुसमर्थित कर सकता है।

4.0 हटाया गया।

4.1 हटाया गया।

4.2 हटाया गया।

7.0 **परिणामों की घोषणा:** परीक्षाओं के अंतिम परिणाम, बोर्ड द्वारा अनुमोदन पर, बोर्ड द्वारा निश्चित तिथि को सचिव द्वारा घोषित किए जायेंगे।

9.0 आवेदन के साथ मूल दस्तावेज इत्यादि : कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक उसके साथ आवश्यक योग्यता, व्यवहारिक अनुभव एवं उम्र की मूल प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी तथा निर्धारित शुल्क जमा करवाने के साक्ष्य नहीं दिए गए हों। मूल दस्तावेज तथा उनके स्वप्रमाणित फोटोकॉपी उम्मीदवार द्वारा कथित परीक्षार्थ होने पर जमा करना होगा।

9.0(A) कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) को नियंत्रित करने वाले नियम:

- i. एक बार कम्प्यूटर आधारित टेस्ट शुरू हो गयी तो किसी भी उम्मीदवार को कम्प्यूटर आधारित टेस्ट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ii. कम्प्यूटर आधारित टेस्ट कक्ष में प्रवेश करने से पहले, प्रत्येक उम्मीदवार सभी किताबें, नोट्स और पेपर आदि बाहर छोड़ देगा।
- iii. प्रत्येक उम्मीदवार को रजिस्टर / शीट में हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी, जिसमें उसका रोल नंबर / आई डी दर्ज किया जाएगा।
- iv. कोई उम्मीदवार को परीक्षक अथवा निरीक्षक अथवा किसी अन्य सहायक से किसी सहायता की आवश्यकता हो तो, उसे ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने स्थान पर खड़ा होना चाहिए, ना कि पुकारना चाहिए।
- v. कोई उम्मीदवार किसी अन्य उम्मीदवार से बात कर रहा हो या किसी पुस्तक या नोट्स से परामर्श कर रहा होया बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए पेपर को छोड़कर दुसरे पेपर का उपयोग कर रहा हो या किसी अन्य अनुचित तरीके का उपयोग कर रहा हो या ऐसा कार्य करे जो परीक्षक को अनुचित लगे तो अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- vi. कोई उम्मीदवार परीक्षा शुरू होने के बाद एक घंटे से पहले परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ेगा।
- vii. जब उम्मीदवार ने प्रश्न का उत्तर पूरा कर लिया हो या जब प्रश्न का उत्तर देने के लिए दी गई समय समाप्त हो गयी हो या उम्मीदवार को क्लॉज नं० 9.0(A) (v) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, तो वह तत्काल परीक्षा कक्ष छोड़ दे।

10.0 परीक्षकों की नियुक्ति: जहाँ तक व्यवहारिक हो, सम्बंधित विषय का अनुभव रखने वाले, किसी प्रतिष्ठित संस्थान के अकदमीशियन/वैज्ञानिक और/अथवा प्रथम श्रेणी प्रबंधक सक्षमता प्रमाण पत्र (जिसमे ओपन कॉस्ट खानों तक सीमित प्रमाण पत्र भी शामिल है) धारक खनन अभियंता और/अथवा बोर्ड द्वारा नियुक्त इन्स्पेक्टर ऑफ माइन्स द्वारा प्रश्न बैंक बनाया जाएगा जिसमे औब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न (एम सी क्यू) रहेंगे।

10.1 हटाया गया।

10.2 हटाया गया।

[फा. सं. डीजीएमएस/एक्साम/ सीएमआर/ बाई लॉज़/2018/2]

प्रभात कुमार, मुख्य खान निरीक्षक एवं अध्यक्ष, खनन परीक्षा बोर्ड

NOTIFICATION

Dhanbad, the 11th August, 2021

G.S.R. 558(E).— In pursuance of the provisions of Regulation 12(4) of the Coal Mines Regulations, 2017, the bye-laws notified vide GSR 913 (E) dated 14th September 2018, for grant of certificates and for conduct of examination for Sirdar's Certificates of Competency, the following clauses, therein, are substituted as below:

- 1.3 Practical experience, for a period of less than one week in a mine shall not be considered.
- 1.6 Omitted
- 2.0 Omitted
- 3.0 **Type of Examination:**
- 3.1 The examination shall consist of a Computer Based Test (CBT) of two hours duration.
- 3.2 Marks: The examination shall carry a total maximum of 100 marks.
- 3.3 In order to pass the examination a candidate must obtain not less than 50% of the maximum marks in Computer Based Test (i.e. at least 50 out of 100).

3.4 The date, time and place of the examination shall be notified to the candidates by the Secretary, after approval of the Chairman BME.

3.5 Questions for each subject shall be submitted to the Board. The Board may ratify the questions, if required.

4.0 Omitted

4.1 Omitted

4.2 Omitted

7.0 **Declaration of Results:** The final result of the examinations as approved by the Board, shall be announced by the Secretary on a date fixed by the Board.

9.0 **Applications to be supported by Original Certificates, etc.:** No application shall be considered unless it is supported by scanned copy of all required original certificates for qualifications, practical experience, age and is accompanied by evidence that the prescribed fee has been paid. The original certificates and their self-attested copies shall be submitted by the candidate upon passing the said examination.

9.0(A) **Rules governing the conduct of Computer Based Test (CBT):**

i. No candidate shall be permitted to attend the CBT once the CBT has commenced.

ii. Before entering the CBT hall, every candidate shall leave all books, notes and paper etc. outside.

iii. Every candidate shall be required to sign in a Register / Sheet in which his roll number / ID would be recorded.

iv. Any candidate desiring to consult the examiner or invigilator or any other assistants requiring any assistance should stand in his seat to draw attention but should not call out.

v. Any candidate speaking to any other candidate, or consulting any book or notes, or using paper other than that supplied by the Board or using any other unfair means or acting in a manner considered improper by the examiner shall be liable to be disqualified.

vi. No candidate shall leave the examination hall before the expiry of one hour after the commencement of the examination.

vii. When candidate has completed the answer to the questions or when the time allowed for answering the questions has elapsed, or when a candidate has been disqualified under Clause No. 9.0(A) (v), he must at once leave the Examination Hall.

10.0 **Appointment of Examiners:** Question banks shall be prepared as objective type Multiple Choice Questions (MCQ), as far as practicable by the Academicians / Scientists conversant with the concerned subjects from reputed institutes and / or Mining Engineers holding First Class Managers' Certificate (including Certificate which is restricted to mines having opencast workings only) and /or an Inspectors of Mines appointed by the Board.

10.1 Omitted

10.2 Omitted

[F. No. DGMS/EXAMS/CMR/BYE LAWS/2018/2]

PRABHAT KUMAR, Chief Inspector of Mines & Chairman, Board of Mining Examination

अधिसूचना

धनबाद, 11 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 559 (अ).—कोयला खान विनियम, 2017, के विनियम 12, उप-विनियम (1) एवम (4) के प्रावधान के अनुसरण में, छूट के आधार पर प्रमाण पत्र प्रदान करने एवं गैस जाँच सक्षमता प्रमाण पत्र परीक्षा संचालन करने हेतु, सा. का. नि. 914(अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के अधिसूचित उप-नियमों में, निम्न अनुच्छेदों को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है।

1.0 आवेदन के साथ मूल दस्तावेज इत्यादि

1.1 **अनुच्छेद, 3.1 के लिए:** कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक उसके साथ आवश्यक योग्यता, गैस जाँच में व्यावहारिक अनुभव एवं उम्र की मूल प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी तथा निर्धारित शुल्क जमा करवाने के साक्ष्य नहीं दिए गए हों। मूल दस्तावेज तथा उनके स्वप्रमाणित फोटोकॉपी उम्मीदवार द्वारा कथित परीक्षा उत्तीर्ण होने पर जमा करना होगा।

1.2 अनुच्छेद, 3.2 के लिए: उम्मीदवार के अच्छे स्वास्थ्य एवं चरित्र के मूल प्रमाण पत्र और परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क/फिस जमा करवाने के साक्ष्य के अभाव में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अन्य सभी प्रमाण पत्रों के स्वप्रमाणित फोटोकॉपी आवेदन के समय स्वीकार्य किये जा सकते हैं। उनके योग्यता, गैस जाँच में व्यावहारिक अनुभव एवं उम्र के संबंध में मूल प्रमाण पत्र सभी विषयों में उत्तीर्ण/सफल होने के पश्चात प्रस्तुत करने होंगे।

1.3 खनन अभियांत्रिकी में डिग्री या डिप्लोमा धारक अथवा केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित समकक्ष योग्यता धारक को ब्रूट के आधार पर गैस जाँच प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। ब्रूट के आधार पर गैस जाँच प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन के साथ योग्यता, गैस जाँच में व्यावहारिक अनुभव, उम्र, उत्तम स्वास्थ्य, अच्छे चरित्र का मूल प्रमाण पत्र और निर्धारित शुल्क जमा करवाने के साक्ष्य, जमा करना होगा।

2.0 हटाया गया।

3.0 परीक्षा के प्रकार:

3.1 कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) परीक्षा

3.1.1 परीक्षा, कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) द्वारा होगी जिसकी अवधि एक घंटे की होगी।

3.1.2 उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख, समय और जगह, अध्यक्ष, खनन परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात, सचिव द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

3.1.3 अंक: परीक्षा के लिए कुल अधिकतम 50 अंक होंगे।

3.1.4 परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए एक उम्मीदवार को कम्प्यूटर आधारित टेस्ट में अधिकतम अंक के 50 प्रतिशत से कम प्राप्त नहीं होने चाहिए (यानि 50 में कम से कम 25)।

3.1.5 प्रत्येक विषय के लिए प्रश्नों को बोर्ड को जमा किए जाएंगे। आवश्यकता के अनुसार प्रश्नों को बोर्ड अनुसमर्थित कर सकता है।

3.2 मौखिक परीक्षा: यदि किसी व्यक्ति ने, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से माध्यमिक उच्च विद्यालय परीक्षा या इंटरमीडियट परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है और वह कम्प्यूटर के उपयोग से परिचित नहीं है, तो वह मौखिक परीक्षा का विकल्प दे सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

3.2.1 परीक्षा का आयोजन मौखिक रूप से अंग्रेजी, हिन्दी अथवा जिले की उस भाषा में होगा जिस जिले में परीक्षा का आयोजन होगा।

3.2.2 परीक्षा की तारीख, समय और जगह की अधिसूचना उम्मीदवार को अध्यक्ष, खनन परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात सचिव द्वारा दी जाएगी।

3.2.3 अंक: परीक्षा में कुल अधिकतम 50 अंक होंगे: (एक परीक्षक के पास 30 अंक और दूसरे परीक्षक के पास 20 अंक)।

3.2.4 परीक्षा में सफल होने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त करने होंगे :

(अ) प्रत्येक परीक्षक से उसके पास अधिकतम अंक के 40 प्रतिशत से कम प्राप्त नहीं होने चाहिए (अर्थात् 30 अंको में से कम से कम 12 अंक परीक्षक - 1 से और 20 अंको में से कम से कम 8 अंक परीक्षक - 2 से) और

(ब) कम से कम कुल अधिकतम अंक का 50% अंक प्राप्त करने होंगे, अर्थात् 50 अंको में से 25 अंक।

3.4 हटाया गया।

3.5 हटाया गया।

4.0 परीक्षकों की नियुक्ति:

4.1 परीक्षा के प्रकार, क्लॉज 3.1 यानि कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) परीक्षा: जहाँ तक व्यवहारिक हो, सम्बंधित विषय का अनुभव रखने वाले, किसी प्रतिष्ठित संस्थान के अकदमीशियन / वैज्ञानिक और/अथवा प्रथम श्रेणी प्रबंधक सक्षमता प्रमाण पत्र धारक खनन अभियंता और/अथवा बोर्ड द्वारा नियुक्त इन्स्पेक्टर ऑफ माइन्स द्वारा प्रश्न बैंक बनाया जाएगा जिसमें औब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न (एम सी क्यू) रहेंगे।

4.2 परीक्षा के प्रकार, क्लॉज 3.2 यानि मौखिक परीक्षा के लिए दो परीक्षक गैस जांच सक्षमता प्रमाण पत्र के लिए निम्न प्रकार से नियुक्त होंगे:

4.2.1 जहाँ तक संभव हो, खान निरीक्षक, परीक्षक -1 और/अथवा प्रथम श्रेणी प्रबन्धक प्रमाण पत्र धारी खनन अभियंता, परीक्षक - 2, होंगे।

4.2.2 आपातकाल को छोड़ कर बोर्ड का कोई सदस्य परीक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा।

4.0(A) कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) को नियंत्रित करने वाले नियम:

i. एक बार कम्प्यूटर आधारित टेस्ट शुरू हो गयी तो किसी भी उम्मीदवार को कम्प्यूटर आधारित टेस्ट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ii. कम्प्यूटर आधारित टेस्ट कक्ष में प्रवेश करने से पहले, प्रत्येक उम्मीदवार सभी किताबें, नोट्स और पेपर आदि बाहर छोड़ देगा।

iii. प्रत्येक उम्मीदवार को रजिस्टर / शीट में हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी, जिसमें उसका रोल नंबर / आई डी दर्ज किया जाएगा।

iv. कोई उम्मीदवार को परीक्षक अथवा निरीक्षक अथवा किसी अन्य सहायक से किसी सहायता की आवश्यकता हो तो, उसे ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने स्थान पर खड़ा होना चाहिए, ना कि पुकारना चाहिए।

v. कोई उम्मीदवार किसी अन्य उम्मीदवार से बात कर रहा हो या किसी पुस्तक या नोट्स से परामर्श कर रहा होया बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए पेपर को छोड़कर दूसरे पेपर का उपयोग कर रहा हो या किसी अन्य अनुचित तरीके का उपयोग कर रहा हो या ऐसा कार्य करें जो परीक्षक को अनुचित लगे तो अयोग्य घोषित किया जाएगा।

vi. कोई उम्मीदवार परीक्षा शुरू होने के बाद तीस मिनट से पहले परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ेगा।

vii. जब उम्मीदवार ने प्रश्न का उत्तर पूरा कर लिया हो या जब प्रश्न का उत्तर देने के लिए दी गई समय समाप्त हो गयी हो या उम्मीदवार को क्लॉज नं० 4.0(A) (v) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, तो वह तत्काल परीक्षा कक्ष छोड़ दे।

5.0 हटाया गया।

5.1 हटाया गया।

5.2 हटाया गया।

6.1 प्रत्येक उम्मीदवार परीक्षा के दौरान सचिव के आवश्यकतानुसार व्यवहार करेगा/करेगी।

8.0 परिणामों की घोषणा: परीक्षाओं के अंतिम परिणाम, बोर्ड द्वारा अनुमोदन पर, बोर्ड द्वारा निश्चित तिथि को सचिव द्वारा घोषित किए जायेंगे।

परिशिष्ट

गैस जाँच/परीक्षण योग्यता प्रमाण पत्र की परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

(धात्विक खान विनियम, 1961 के तहत)

1. खानों में गैसों की उपस्थिति, उनके गुण और शारीरिक प्रभाव; पता लगाने और माप का तरीका माइन गैसों का पता लगाने के लिए मेथनोमीटर, मल्टी गैस डिटेक्टर, टॉक्समीटर, ऑक्सीमीटर, एक्सप्लोसीमीटर आदि जैसे गैस डिटेक्टरों का उपयोग।
2. विभिन्न प्रतिशत में ज्वलनशील गैस का प्रभाव ऐवम दहन और विस्फोट के बीच का अंतर
3. लौ सुरक्षा लैंप का निर्माण, संयोजन और कार्य सिद्धांत, लौ सुरक्षा लैंप के साथ ज्वलनशील गैस के परीक्षण के तरीके
4. सुरक्षा लैंप से संबंधित और खान में ज्वलनशील और हानिकारक गैस की उपस्थिति के संबंध में, खान अधिनियम, 1952 के तहत बनें धात्विक खान विनियम 1961 के प्रावधान।

[फा. सं. डीजीएमएस/एक्सएम/ सीएमआर/ बाई लॉज/2018/2]

प्रभात कुमार, मुख्य खान निरीक्षक एवं अध्यक्ष, खनन परीक्षा बोर्ड

NOTIFICATION

Dhanbad, the 11th August, 2021

G.S.R. 559(E).— In pursuance of the provisions of Regulation 12(1) and 12(4) of the Coal Mines Regulations, 2017, the bye-laws notified vide GSR 914 (E) dated 14th September 2018, for grant of certificates on exemption basis and for conduct of examination for Gas Testing Certificates of Competency, the following clauses, therein, are substituted as below:

1.0 Applications to be supported by Original Certificates, etc.:

1.1 For Clause 3.1 type of examination, i.e., Computer Based Test (CBT): No application shall be considered unless it is supported by scanned copy of all required original certificates for qualifications, practical experience in Gas Testing in prescribed format, age and is accompanied by evidence that the prescribed fee has been paid. The original certificates and their self-attested copies shall be submitted by the candidate upon passing the said examination.

1.2 For Clause 3.2 i.e. oral examination: No application shall be considered unless it is supported by original certificates as to the sound health and character of the candidate and is accompanied by evidence that the prescribed fee has been paid. The self-attested copies of all other certificates may be accepted at the time of the applications. The original certificates of qualifications, practical experience in Gas Testing in prescribed format and age shall be submitted by the candidate upon passing the examination.

1.3 The Gas Testing Certificate may be granted on exemption basis to the holders of Degree or Diploma in Mining Engineering or other equivalent qualification approved in that behalf by the Central Government. Application for grant of Gas Testing Certificate on exemption basis shall be supported by original certificates of qualifications, certificate of practical experience in gas-testing in prescribed format, age, certificates as to the sound health, character of the candidate and is accompanied by evidence that the prescribed fee has been paid.

2.0 Omitted

3.0 TYPE OF EXAMINATION:**3.1 Computer Based Test (CBT) mode of Examination:**

3.1.1 The examination shall consist of a Computer Based Test (CBT) of one hour duration.

3.1.2 The date, time and place of the examination shall be notified to the candidates by the Secretary, after approval of the Chairman BME.

3.1.3 **Marks:** The examination shall carry a total maximum of 50 marks.

3.1.4 In order to pass the examination a candidate must obtain not less than 50% of the maximum marks in Computer Based Test (i.e. at least 25 out of 50).

3.1.5 Questions for each subject shall be submitted to the Board. The Board may ratify the questions, if required.

3.2 **Oral Examination:** Persons who have not passed Senior Secondary School Examination or Intermediate examination or its equivalent from a recognized Board or University and are not familiar with use of Computer, may opt for oral examination as mentioned below:

3.2.1 The examination shall be conducted orally in English, Hindi or in the language of the district in which the examination is held.

3.2.2 The date, time and place of the examination shall be notified to the candidates by the Secretary, after approval of the Chairman BME.

3.2.3 **Marks:** The examination shall carry a total maximum of 50 marks: (30 marks with one examiner and 20 marks with other examiner).

3.2.4 In order to pass the examination a candidate must obtain:

(a) not less than 40% of the maximum marks with each of the two examiners (i.e. at least 12 out of 30 from examiner - 1 and 08 out of 20 from examiner - 2).

and

(b) obtain not less than 50 % of the maximum marks in aggregate i.e. 25 out of 50.

3.4 Omitted

3.5 Omitted

4.0 APPOINTMENT OF EXAMINERS:

4.1 For Clause 3.1 type of examination, i.e., Computer Based Test (CBT): Question banks shall be prepared as objective type Multiple Choice Questions (MCQ), as far as practicable by the Academicians / Scientists conversant with the concerned subjects from reputed institutes and / or Mining Engineers holding First Class Managers' Certificate and /or an Inspectors of Mines appointed by the Board.

4.2 For Clause 3.2 type of examination, i.e. oral examination, there shall be two examiners for Gas Testing Certificate of competency examination as follows:

4.2.1 So far as practicable, the examiners shall be an Inspector of Mines as an Examiner – 1 and/ or a mining engineer holding First Class Managers' Certificate as an Examiner- 2.

4.2.2 Except in an emergency, no member of the Board shall act as an examiner.

4.0(A) Rules governing the conduct of Computer Based Test (CBT):

i. No candidate shall be permitted to attend the CBT once the CBT has commenced.

ii. Before entering the CBT hall, every candidate shall leave all books, notes and paper etc. outside.

iii. Every candidate shall be required to sign in a Register / Sheet in which his roll number / ID would be recorded.

iv. Any candidate desiring to consult the examiner or invigilator or any other assistants requiring any assistance should stand in his seat to draw attention but should not call out.

v. Any candidate speaking to any other candidate, or consulting any book or notes, or using paper other than that supplied by the Board or using any other unfair means or acting in a manner considered improper by the examiner shall be liable to be disqualified.

vi. No candidate shall leave the examination hall before the expiry of thirty minutes after the commencement of the examination.

vii. When candidate has completed the answer to the questions or when the time allowed for answering the questions has elapsed, or when a candidate has been disqualified under Clause No. 4.0(A) (v), he must at once leave the Examination Hall.

5.0 Omitted

5.1 Omitted

5.2 Omitted

6.1 While appearing in an examination, every candidate shall conduct himself / herself as required by the Secretary.

8.0 **Declaration of Results:** The final result of the examinations as approved by the Board shall be announced by the Secretary on a date fixed by the Board.

ANNEXURE**SYLLABUS FOR EXAMINATION FOR GAS TESTING CERTIFICATE OF COMPETENCY****(Under Coal Mines Regulations, 2017)**

1. Occurrence of gases in mines, their properties and physiological effects; detection and measurement
2. Use of gas detectors such as methanometers, Multi Gas Detectors, Toximeter, Oximeter, Explosimeter, Tele-monitoring system, etc. for detection of mine gases.
3. Effect of inflammable gas in different percentages and the difference between combustion and explosion.
4. Construction, assembly and working principle of flame safety lamp, methods of testing for inflammable gas with a flame safety lamp.
5. Provisions of the Coal Mines Regulations, 2017, made under the Mines Act, 1952, relating to safety lamps and to the presence of inflammable and noxious gas in a mine.

[F. No. DGMS/EXAMS/CMR/BYE LAWS/2018/2]

PRABHAT KUMAR, Chief Inspector of Mines & Chairman, Board of Mining Examination